अनुबंध

समूह के भीतर लेनदेनों और एक्सपोजरों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश

1. उद्देश्य

1.1 यह स्वीकार किया जाता है कि ऐसे एक्सपोजरों के सूक्ष्म विवेकपूर्ण जोखिम, जो बैंक के पूंजी संसाधनों की तुलना में बड़े हैं, को पूर्णतः घटाने के लिए पूंजी पर्याप्तता संरचना पर्याप्त नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर मानदंड इस उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं कि किसी प्रतिपक्षकार द्वारा चूक करने पर बैंक द्वारा उठाई जा सकने वाली अधिकतम हानि को इस प्रकार सीमित किया जाए कि बैंक की ऋण शोधन क्षमता को कोई खतरा न हो।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए सामान्य बैंकिंग परिचालनों के दौरान माने जाने वाले उनके अन्य एक्सपोजरों के लिए भी विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की हैं। इनमें से प्रत्येक सीमा संकेंद्रण और संक्रामक जोखिमों के किसी रूप से बैंकों की रक्षा का कार्य करती है। उदाहरणार्थ, मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने और ऋण देने, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की प्रतिधारिता, पूंजी बाजार एक्सपोजर, एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर, वित्तीय और वित्तेतर संस्थाओं में ईक्विटी निवेश आदि पर सीमाएं हैं।

1.3 यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि बैंक से मूल रूप से जुड़ी पार्टियों के द्वारा भी बैंक की स्थिरता और ऋण शोधन क्षमता को खतरा हो सकता है। ऐसी संस्थाओं को सामान्यतः समूह हस्तियां कहा जाता है। समूह हस्तियों के साथ समूह के भीतर लेनदेनों और एक्सपोजरों के कारण बड़ी हानियां उत्पन्न होने की संभावना के कारण यह अपेक्षित है कि समूह के भीतर जोखिम संकेंद्रणों का निर्धारण, निगरानी तथा पर्याप्त प्रबंधन कार्यनीति बनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूहों के मामले में समूह के भीतर संबंधों का जाल बाजार और विनियामकों द्वारा जोखिमों की समझ को अवरुद्ध कर सकता है। एक देश की एक कानूनी हस्ती को प्रभावित करने वाली एक दबावपूर्ण घटना इन संस्थाओं से चलनिधि या पूंजी के अंतरण, देयताएं पूर्ण करने में असफलता या गारंटी परिणति के कारण उस समूह की उसी या अन्य क्षेत्राधिकारों में अन्य संस्थाओं में भी फैल सकती है। समूह हस्तियों के स्थान पर ध्यान दिए बिना पूरे समूह में संक्रमण की संभावना के कारण वित्तीय बाजार के सहभागियों का समूह पर से विश्वास उठ सकता है तथा वित्तीय सुदृढ़ता के बावजूद वे समूह की संस्थाओं के साथ सौदे करना बंद कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों के कारण बाजार के सहज क्रियाकलाप और स्थिरता बाधित होने की संभावना है।

1.4 इस पृष्ठभूमि में मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा में यह घोषणा की गई थी कि बैंकों की एकल हस्ती के लिए और सकल आधार पर सभी समूह संस्थाओं के लिए समूह के भीतर लेनदेनों और एक्सपोजरों के लिए उचित सीमा निर्धारित की जाएगी, ताकि बैंक और समूह हस्तियों के बीच परस्पर संबंधों को सीमित किया जा सके।

2. प्रयोज्यता का दायरा

2.1 भारत में वित्तीय बाजारों के विकास के साथ ही बैंक अपने पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से अनुमत वित्तीय गतिविधियों में अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ाते रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप समूह हस्तियों में बैंक का एक्सपोजर बढ़ा है और आगे और भी बढ़ सकता है। यह बैंकों को परस्पर विरोधी चुनावों की स्थिति में डाल देता है, जहां उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समूह संस्थाओं की संवृद्धि में सहायता करें और उसी

समय सह भी सुनिश्चित करें कि समूह संस्थाओं के साथ अत्यधिक संलग्नता उनकी स्वयं की स्थिरता, ऋण शोधन क्षमता और प्रतिष्ठा को संकट में न डाल दे। इस दुविधा के कारण समूह के भीतर एक्सपोजरों पर उचित सीमा लगाने में कठिनाई होती है।

2.2 प्रतिपक्षकार एक्सपोजरों की तुलना में समूह के भीतर एक्सपोजर सीमाएं उदारता से निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि बैंक किसी तीसरे पक्ष की अपेक्षा अपनी समूह संस्थाओं को बेहतर समझते हैं और इसलिए उनके द्वारा खड़े किए जाने वाले जोखिमों का कुशल मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी ओर, वित्तीय संकट ने दिखा दिया है कि अंतर-संबद्धता तथा संक्रमण दोनों ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जिनके द्वारा परेशान/अशांत संस्था की कमजोरियां अन्य प्रकार से स्थिर संस्थाओं में फैल जाती हैं और इस प्रकार इन संस्थाओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। समूह के भीतर लेनदेनों में एक संभावित चुनौती यह भी है कि यह लेनदेन पर्याप्त दूरी रखते हुए नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक होगा कि समूह के भीतर सीमाओं को तीसरे पक्ष के लिए निर्धारित सीमाओं से भी कठोर बनाया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुरुआती तौर पर समूह के भीतर एक्सपोजरों के लिए अलग से सीमाएं निर्धारित की हैं, जो पैरा 2.4 और 3.4 के अंतर्गत दी गई विनिर्दिष्ट छूटों को ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पर तीसरे पक्ष के लिए लागू सीमाओं के समान है।

2.3 समूह की परिभाषा

ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। इसमें किसी वित्तीय समूह से संबद्ध भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक शामिल होंगे, इस पर ध्यान न देते हुए कि क्या बैंक मूल बैंक है या बैंक का मूल कोई विनियमित वित्तीय संस्था है या अपरिचालक वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी) है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से एक 'समूह' को निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के संबंधों [1] द्वारा एक दूसरे से संबद्ध दो या अधिक संस्थाओं के बीच एक व्यवस्था के रूप में तथा समूह संस्था को इस व्यवस्था में शामिल एक संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

i. सहायक-मूल कंपनी
ii. सहयोगी
iii. संयुक्त उद्यम
iv. संबंधित पार्टी [2]
v. उद्यम के मताधिकार में 20 प्रतिशत [3] या उससे अधिक का प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वामित्व
vi. सामान्य ब्रैंड नाम
vii. बैंक के प्रवर्तक [4]

---

[1] केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन अधिसूचित किए अनुसार लेखांकन मानक 21, 23, 27 और 18 में क्रमशः अनुषंगी, सहयोगी, संयुक्त उद्यम और संबंधित पार्टी को परिभाषित किया गया है।

[2] 'संबंधित पार्टी' में एसपीवी/एसआईवी/वास्तविक स्वामित्व/नियंत्रण/काफी प्रभाव/लाभकारी हित पर आधारित वाहक (conduits) भी शामिल होंगे।

[3] यदि सांविधिक/विनियामक प्रावधानों या अन्य व्यवस्थाओं द्वारा मताधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध हो, तो वास्तविक स्वामित्व निर्धारक तत्व होगा।

[4] दिनांक 22 फरवरी 2013 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा जारी निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देनेके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह।

viii. बैंक की अपरिचालक वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी)

ix. कोई संस्था, जिसके प्रवर्तक/एनओएफएचसी तथा उनसे निकली हुई संस्थाओं के साथ उक्त के अनुसार पहले छः में से कोई भी संबंध हों

2.4 ऐसी संस्थाएं, जिन्हें समूह संस्थाओं की परिभाषा से छूट दी गई है

क. चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का स्वामित्व भारत सरकार के पास है, इसलिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समूह संस्थाएं माना जा सकता था। किंतु सरकार संप्रभु होने के कारण पीएसबी के प्रवर्तक और स्वामी के रूप में उसकी भूमिका के कारण इन संस्थाओं को समूह संस्थाएं नहीं माना जा सकता। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग समूह की संस्थाओं की अलग से पहचान के लिए पैरा 2.3 में परिभाषित अन्य संबंध लागू होंगे।

ख. वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों के लिए बैंकों सहित वित्तीय क्षेत्र की मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित हस्तियों को इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से समूह हस्तियां नहीं माना जाएगा। ऐसी संस्थाएं निक्षेपागार, एक्सचेंज, समाशोधन और निपटान एजेंसियां आदि हो सकती हैं, जिनका पर्यवेक्षण और विनियमन वित्तीय क्षेत्र के संबंधित विनियामकों द्वारा किया जाता है। इन हस्तियों के प्रति बैंक का एक्सपोजर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विद्यमान एक्सपोजर सीमाओं के अधीन होगा।

ग. अन्य क्षेत्राधिकारों में शाखाएं, जो मूल बैंक के परिचालनों का भाग है, को पैरा 3.3 में निर्धारित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार, भारतीय बैंकों का उनकी विदेश में स्थित शाखाओं के प्रति एक्सपोजर तथा विदेशी बैंकों (भारत में शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले) का उनके प्रधान कार्यालय को एक्सपोजर, उनके साथ किए गए प्रोप्राइटरी डेरिवेटिव लेनदेनों को छोड़कर, इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तथापि, विदेशी बैंकों (शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले) का उनके प्रधान कार्यालयों तथा मूल बैंक के अन्य विदेश स्थित शाखाओं के प्रति एक्सपोजर विद्यमान विनियमन [5] के अधीन विनियमित होते रहेंगे।

3. समूह के भीतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं

3.1 आईटीई से उत्पन्न होने वाले संकेंद्रण और संक्रमण जोखिमों की रोकथाम के लिए बैंकों द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ आईटीई सुनिश्चित करने हेतु इन दिशानिर्देशों में वित्तीय आईटीई [6] पर मात्रात्मक सीमाएं तथा वित्तेतर आईटीई [7] पर विवेकपूर्ण उपाय दिये गये हैं।

3.2 एक्सपोजरों में ऋण एक्सपोजर (निधीकृत और निधीतर ऋण सीमाएं) तथा निवेश एक्सपोजर (हामीदारी और समान प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होने चाहिए। एक्सपोजरों की परिभाषा और गणना का तरीका एक्सपोजर मानदंडों पर मास्टर परिपत्र में निर्धारित किए अनुसार होगा। तथापि, जैसाकि नीचे पैरा 3.4 (क) में बताया गया

---

[5] कृपया 'पूंजी पर्याप्तता – प्रधान कार्यालय नामे शेष का ट्रीटमेंट – विदेशी बैंक' पर 9 जुलाई 2012 का भारिबैं. परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.06.001/2012-13 देखें।

[6] वित्तीय आईटीई वे हैं, जिनके परिणामों को आस्तियों, देयताओं और/या राजस्व लेनदेनों में प्रदर्शित वित्तीय प्रवाहों के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

है, समूह हस्तियों के प्रति एक्सपोजरों की गणना करते समय ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी लिखतों के कारण एक्सपोजरों को शामिल नहीं करना चाहिए।

3.3 बैंकों को समूह के भीतर निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाओं का पालन करना चाहिए:

क. एकल समूह हस्ती एक्सपोजर

i. वित्तेतर कंपनियों [8] और अविनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 5%;

ii. विनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 10%।

ख. सकल समूह एक्सपोजर

i. एक साथ सभी वित्तेतर कंपनियों और अविनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 10%;

ii. एक साथ सभी समूह हस्तियों (वित्तीय और वित्तेतर) के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 20%।

3.4 समूह के भीतर विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट प्राप्त एक्सपोजर

समूह के भीतर निम्नलिखित एक्सपोजरों को निर्धारित सीमाओं से छूट दी जाएगीः

क. समूह हस्तियों की ईक्विटी और अन्य पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश वर्तमान में 'सहायक कंपनियों और अन्य कंपनियों में निवेश' पर 12 दिसंबर 2011 का भारिबैं का परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 62/24.01.001/2011-12 तथा 'बासल III पूंजी विनियमावली' पर 01 जुलाई 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 2/21.06.201/2013-14 द्वारा शासित हैं। तदनुसार, समूह के अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में ईक्विटी और अन्य पूंजी लिखतों के रूप में बैंकों के निवेश को इन दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं से छूट दी गई है तथा पैरा 3.5 में निर्धारित ऊपर उल्लिखित विद्यमान अनुदेश लागू होना जारी रहेगा।

ख. भारत में परिचालन करने वाले समूह के बैंकों के बीच अंतर-बैंक एक्सपोजर। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में बकाया उधार लेने और देने, दोनों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं मांग/नोटिस मुद्रा बाजार परिचालन पर विद्यमान अनुदेशों के द्वारा शासित होंगी।

ग. विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मूल बैंक द्वारा विदेशी समूह संस्थाओं के पक्ष में जारी चुकौती आश्वासन पत्र।

---

[7] वित्तेतर आईटीई का आशय है अनेक कानूनी रूप से स्वतंत्र हस्तियों में व्याप्त व्यवसायिक हिस्सा या क्रियाकलाप प्रणाली में नियंत्रण/प्रभावी जोखिम प्रबंधन को सुगम बनाने के 'मैट्रिक्स' प्रबंधन से उत्पन्न परिचालन। वित्तेतर आईटीई के उदाहरण हैं बैक-ऑफिस व्यवस्था, उत्पादों का प्रति-विक्रय आदि।

[8] इनमें ऐसी हस्तियों को शामिल किया जा सकता है, जो समूह की वित्तीय हस्तियों को तत्वतः सहायता करने के लिए वित्तेतर गतिविधियां हाथ में लेती है। (उदाहरणार्थ आईटी सेवाएं, बैक-ऑफिस सहायता आदि)

3.5 प्रतिबंधित एक्सपोजर

जहां बैंक की स्थापना एनओएफएचसी संरचना के अधीन की गई है,

- **क.** एनओएफएचसी, उसके प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह संस्थाओं या प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्तियों से बैंक कोई ऋण या निवेश (ईक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों सहित) नहीं ले सकता है।
- **ख.** एनओएफएचसी के अंतर्गत किसी वित्तीय हस्ती की ईक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों में बैंक निवेश नहीं कर सकता है।

4. आईटीई की निगरानी और प्रबंधन

4.1 आईटीई की निगरानी और प्रबंधन के लिए बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति बनानी चाहिए। उक्त नीति में महत्वपूर्ण आईटीई और जोखिम संकेंद्रण के निर्धारण, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए प्रभावी प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसी नीति बनाते समय बोर्ड को समूह के भीतर ऐसी गतिविधियों के परिणामस्वरूप बैंक के सामने एकल आधार पर आने वाले जोखिमों पर विचार करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के एक्सपोजर की गणना में समूह हस्तियों के प्रति एक्सपोजरों को उचित रूप से शामिल किया गया है।

4.2 उक्त नीति की कम से कम वार्षिक रूप से समीक्षा की जाए। नीति में कम-से-कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- **क.** समूह के भीतर किए गए लेनदेन और एक्सपोजरों (आईटीई) तथा उनसे उत्पन्न जोखिम, यदि कोई हों, की सुस्पष्ट समझ को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण आईटीई की नियमित समीक्षा और बोर्ड को रिपोर्टिंग की प्रणाली;
- **ख.** यह अपेक्षा कि बैंक आईटीई से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का उसी प्रकार कड़ाई से सामना करे, जैसा कि वह किसी तृतीय पक्ष/समूहेतर संस्था के प्रति अपने जोखिम एक्सपोजर का सामना करेगा;
- **ग.** यह अपेक्षा कि समूह के भीतर लेनदेनों की शर्तें और ऋण मानक काफी हद तक उस समय प्रचलित तृतीय पक्ष/समूहेतर के साथ तुलनीय लेनदेनों की शर्तों व मानकों के समान हों;
- **घ.** पर्याप्त दूरी बनाये रखने के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा सकने वाली अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस नीति में विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए;
- **ङ.** समूह के भीतर लेनदेनों और एक्सपोजरों से उत्पन्न हितों के टकराव को सुलझाने की क्रियाविधि;
- **च.** समूह हस्तियों से संबंधित तृतीय पक्ष-सौदों की पारदर्शिता संबंधी अपेक्षाएं। एक सामान्य नियम के रूप में समूह हस्तियों के कारोबार की सहायता के प्रयोजन से बैंकों को तृतीय पक्ष सौदे नहीं करने चाहिए, जब तक कि वे पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए और अंतरण मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार न किए जाएं।
- **छ.** बैंक के महत्वपूर्ण समूह के भीतर लेनदेनों (निधि आधारित और निधीतर आधारित, दोनों) की जांच आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए तथा उसी की नमूना आधार पर जांच सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूह के भीतर लेनदेन:
    - पर्याप्त दूरी बनाये रखने के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए किए गए हैं;

- बैंक के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं;
- निम्न गुणवत्ता वाले या निम्न रेटेड आस्तियों के अंतरण के इरादे से नहीं हैं;
- समूह हस्तियों को पूंजी/आय का अनुचित अंतरण करने के माध्यम नहीं हैं;
- यदि इसके परिणाम से समूह के भीतर एक्सपोजर मानदंडों का उल्लंघन होता है, तो दिशानिर्देशों के पैरा 9.4 के अनुसार तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाते हैं।

ज. यह सुनिश्चित करने की प्रणाली कि आईटीई से किसी विनियामक, सांविधिक या कराधान कानूनों का उल्लंघन/अतिक्रमण नहीं होता।

4.3 जहां समूह हस्तियों के साथ बैंक के लेनदेनों के लिए लागू शर्तें उसी प्रकार की रेटिंग वाले तृतीय पक्ष/समूहेतर हस्तियों के लिए पैरा 4.2(ग) के अंतर्गत यथाअपेक्षित निर्धारित बेंचमार्क से असंगत हैं, मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें उचित औचित्य दर्शाते हुए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त को निरीक्षण के समय अथवा जब भी अपेक्षित हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराया जाए।

4.4 बैंक को पर रूप-चूक शर्त [9] नहीं मानना चाहिए, जिसके द्वारा किसी दायित्व (वित्तीय हो, या अन्य) पर समूह की किसी हस्ती की चूक से बैंक द्वारा अपने दायित्वों पर चूक की शुरुआत होना माना जाता है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार किए सौदों उदाहरणार्थ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अनर्जक आस्तियों की बिक्री, आदि को छोड़कर, बैंकों को सामान्यतः समूह हस्तियों से/को निम्न स्तर की आस्तियों [10] की खरीद/बिक्री नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, समूह हस्ती को ऋण देने के लिए या उनकी ओर से गारंटी, स्वीकृति या साख पत्र जारी करने के लिए संपार्श्विक के रूप में निम्न स्तर की आस्तियां स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हानियों को छुपाने या तुलनपत्र में दिखावे के प्रयोजन से समूह हस्ती, चाहे विनियमित हो या अविनियमित, के साथ निम्न स्तर की आस्तियों का लेनदेन नहीं किया जाता है।

4.6 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईटीई से उत्पन्न होने वाले एक्सपोजरों के निर्धारण, निगरानी, प्रबंधन और समीक्षा के लिए उन्होंने समुचित प्रणालियां और नियंत्रण बनाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे आईटीई पर अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण और अधिक मजबूत जोखिम निगरानी, प्रबंधन, रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रणाली बनाएं।

5. समूह के भीतर सहायता उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था

5.1 बैंक समूह हस्तियों को सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते यह सहायता समूह हस्तियों के साथ बैंक के लेनदेन को शासित करने वाली नीतियों से संबंधित उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्धारित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुसार की जाए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को पर्याप्त और सतर्क उपाय करने चाहिए ताकि यह छवि न बने कि वे समूह

---

[9] ये अपेक्षा इन दिशानिर्देशों की प्रभावी तारीख से लागू होगी। ऐसे करार, जिन्हें बैंक पहले ही निष्पादित कर चुके हैं, को इस अपेक्षा से छूट दी जाएगी। तथापि, बैंकों द्वारा ऐसे विद्यमान करारों का नवीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

[10] बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी आस्ति को अतिदेय/खराब या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, अथवा कोई पुनर्रचित आस्ति, जिसकी शर्तों पर उधारकर्ता की गिरती हुई वित्तीय स्थिति के कारण पुनः बातचीत या समझौता किया गया है।

हस्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता देते हैं बशर्ते ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए औपचारिक कानूनी व्यवस्था की गई हो।

5.2 निधीयन आवश्यकताओं (विशेषतः दबावपूर्ण स्थितियों में) का मूल्यांकन करते समय बैंकों को समूह हस्तियों को किए गए किसी निधीयन या चलनिधि वायदों [11] (जैसे जरूरत के समय सुस्पष्ट गारंटी या आहरणीय निधीयन व्यवस्था के रूप में) को हिसाब में लेना चाहिए तथा समूह हस्तियों द्वारा उन वायदों पर निधीयन के किसी आहरण के लिए तैयार करना चाहिए। बैंकों को यह विश्लेषण भी करना चाहिए कि समूह हस्तियों की चलनिधि की स्थिति सीधे वित्तीय प्रभाव द्वारा अथवा जब वे हस्तियां चलनिधि अभाव का सामना करती हैं, तब संक्रमण द्वारा उनकी स्वयं की चलनिधि को कैसे प्रभावित करती है। जहां समूह हस्तियों के बीच निधीयन सहायता पर निर्भरता हो, बैंकों को उन विधिक, विनियामक या अन्य सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जो जरूरत के समय बैंकों से समूह हस्तियों को या इसके विपरीत चलनिधि तक पहुंच को सीमित करती हैं।

5.3 जब समूह संस्थाएं चलनिधि दबाव में हों, तब अन्य समूह हस्तियों से संक्रमण का जोखिम कम करने हेतु बैंकों को समूह के भीतर चलनिधि सहायता पर आंतरिक सीमाएं स्थापित करनी चाहिए। जब समूह में चलनिधि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब समूह हस्तियों की सहायता के लिए बैंक फुटनोट 11 में संदर्भित दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह में व्याप्त आकस्मिक निधि योजना, चलनिधि कुशन और विविधतापूर्ण निधीयन की स्थापना कर सकते हैं।

6. उत्पादों का प्रतिविक्रय (क्रॉस सेलिंग)

6.1 जब समूह हस्तियों के ग्राहकों को उत्पादों के प्रतिविक्रय की बात आती है, तब बैंकों को पारदर्शिता से लेनदेन करना चाहिए तथा अन्य संस्थाओं को उत्पादों के प्रतिविक्रय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार मानदंडों का पालन करना चाहिए।

6.2 यदि बैंक अपने स्वयं के ग्राहकों को समूह हस्तियों के वित्तीय उत्पादों का विपणन/वितरण करते हों, तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित विपणन सामग्री और उत्पाद प्रलेखन में उत्पाद के विक्रेता की पहचान प्रमुख रूप से प्रकट और प्रदर्शित की जाती है तथा इसे बैंक के स्टाफ/एजेंटों द्वारा शाखाओं, एटीएम, टेलीमार्केटिंग, ई-मेल या किसी अन्य स्थान/प्रकार से उत्पाद का विपणन करते समय स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए किः

- **क.** बैंक और उत्पाद विक्रेता की अलग-अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में ग्राहक को स्पष्टतः पता है।
- **ख.** इससे यह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि बैंक उत्पाद की गारंटी देता है, या अन्य प्रकार से समर्थन करता है, जब तक कि इस आशय का विधिक रूप से प्रवर्तनीय औपचारिक करार न हुआ हो।
- **ग.** ऐसे उत्पादों को किसी भी प्रकार से बैंक के अपने उत्पादों के साथ बांधना/जोड़ना नहीं चाहिए, जिससे ग्राहक विपणित उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य हो; तथा

---

[11] इस संदर्भ में बैंक 'बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन' पर दिनांक 07 नवंबर 2012 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश भी देख सकते हैं।

घ. तीसरे पक्ष के उत्पाद बेचते समय बैंकों को अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानक/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

6.3 जब समूह हस्तियां किसी भी क्षमता में बैंक के उत्पादों का वितरण करती हैं, तब बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए किः

क. बैंक और समूह हस्ती की विशिष्ट भूमिकाओं के संबंध में पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है;

ख. जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती (तथा उचित संविदागत करार द्वारा समर्थित न हो), बैंक के उत्पादों के वितरण में समूह हस्तियां बैंक का कोई प्रमुख निर्णय लेने संबंधी कार्य (उदाहरणार्थ ऋण पात्रता सुनिश्चित करना) नहीं करती हैं; तथा

ग. केवायसी/एएमएल/सीएफटी विनियमों का पालन और उसके लिए जिम्मेदारी कड़ाई से सुनिश्चित की जाती है।

6.4 बैंक को संचार और पारदर्शिता के न्यूनतम मानक स्थापित करने चाहिए, जिसे उत्पादों के प्रतिविक्रय के लिए बैंक के ग्राहक से संपर्क करते समय उनके स्टाफ/एजेंटों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। ये मानक व्यवहार में लाए जाते हैं, इसकी निगरानी के लिए बैंक को एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। जब उत्पादों का विपणन और विक्रय टेलीमार्केटिंग और ई-मेल जैसे माध्यमों से किया जाता है, तब ग्राहक को नाम, पदनाम तथा बैंक में प्रभाग/विभाग सहित कॉलर/प्रेषक की पहचान से अवगत कराना चाहिए। यह भी अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक को उपलब्ध कराई गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही है, ताकि वह एक सुविज्ञ निर्णय ले सके। यदि ग्राहक चाहे, तो उसे उत्पाद की विशेषताएं, शर्तें और प्रस्ताव पहले ही लिखित रूप में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा ग्राहक द्वारा उत्पाद खरीदने के बाद निश्चित रूप से लिखित में दिया जाना चाहिए।

6.5 स्टाफ/एजेंटों के लिए प्रोत्साहन संरचना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए, जिससे दुर्विक्रय रोका जा सके। दुर्विक्रय की घटनाओं पर प्रोत्साहन राशि रोकने/वापस वसूलने के प्रावधानों जैसे उपयुक्त निवारक उपाय होने चाहिए। बैंकों को ऐसे करार नहीं करने चाहिए, जिसमें उत्पादों के प्रति-विक्रय संबंधी नकद/नकदेतर प्रोत्साहन समूह हस्ती के कर्मचारियों को अथवा इन हस्तियों द्वारा बैंक कर्मचारियों को सीधे अदा किए जाते हैं।

7. समूह हस्तियों के साथ सेवाएं साझा करना

7.1 एक औसत समूह संरचना में सामान्यतः बैंकों का समूह हस्तियों के साथ बैक-ऑफिस और सेवा व्यवस्थाएं/करार रहता है, जैसेः परिसर साझा करना, विधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, केंद्रीकृत बैक-ऑफिस कार्यकलाप, अन्य समूह हस्तियों को कुछ वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करना आदि। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 नवंबर 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. 40/21.04.158/2006-07 तथा 11 दिसंबर 2006 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. 97/21.04.158/2008-09 के द्वारा 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता' पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें समूह/संगुट के भीतर वित्तीय सेवाओं का आउटसोर्सिंग करना शामिल है। समूह हस्तियों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करते समय बैंकों को उक्त परिपत्रों के प्रावधानों का पालन जारी रखना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये व्यवस्थाएं:

क. सेवाओं का दायरा, सेवाओं के लिए प्रभार तथा ग्राहक संबंधी आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने जैसे ब्यौरों के साथ लिखित करारों के रूप में उचित रूप से प्रलेखित की गई है;

ख. ग्राहकों को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं डालती है;

ग. एकल संस्था (stand alone entity) के रूप में बैंक की सुरक्षा और सुदृढ़ता से कोई टकराव नहीं होता है;

घ. बैंक के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित या पूरे समूह से संबंधित सूचना प्राप्त करने से भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं रोकता है; तथा

ङ. किसी सेवा प्रदाता के लिए बैंक के क्रियाकलापों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करने के लिए लिखित करार के अंतर्गत स्पष्ट दायित्व है।

7.2 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि समूह हस्तियों द्वारा उपलब्ध कराया गया परिसर या अन्य सेवाएं (जैसे सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, सहायक स्टाफ) उपलब्ध न हों, तो भी अपने परिचालन अच्छी तरह करने की उनकी क्षमता प्रभावित नहीं होती है।

7.3 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समूह हस्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिसर सेवाओं आदि पर उनकी निर्भरता या समूह हस्तियों को सेवाओं का प्रावधान उनकी एकल आधार पर जोखिम निर्धारण और प्रबंधन की क्षमता के साथ समझौता नहीं करता है।

7.4 यदि प्रतिविक्रय के प्रयोजन से बैंक का परिसर समूह हस्तियों के साथ साझा किया जाता है तो बैंक को यह सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए कि ग्राहकों को हस्ती की पहचान स्पष्ट हो और अलग से दिखाई देनी चाहिए। समूह हस्ती द्वारा प्रयुक्त विपणन विवरणिका में तथा बैंक के परिसर में उनके स्टाफ/एजेंट द्वारा मौखिक संवाद में हस्ती के बैंक के साथ करार के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि ग्राहक को उत्पाद के विक्रेता के विषय में स्पष्टता हो।

7.5 बैंक अपनी समूह हस्तियों के दायित्वों के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी हैं, इस आशय का या ऐसा सुझाने या कहने वाला कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा या ऐसा कोई करार नहीं करेगा।

8. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण

समूह हस्तियों के साथ अपने लेनदेनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बैंक निम्नलिखित प्रकटीकरण करेंगेः

- समूह के भीतर एक्सपोजरों की कुल राशि
- समूह के भीतर शीर्ष के 20 एक्सपोजरों की कुल राशि
- बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजरों में समूह के भीतर एक्सपोजरों का प्रतिशत
- समूह के भीतर एक्सपोजरों की सीमाओं का उल्लंघन करने और उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि हो, का ब्योरा।

9. रिपोर्टिंग

बैंकों को निम्नलिखित आंकड़े/सूचना बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय (डीबीएस), भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने चाहिए। डीबीएस द्वारा रिपोर्टिंग की बारंबारता और फॉर्मेट की सूचना बैंकों को अलग से दी जाएगी।

9.1 बैंकों को समूह हस्तियों की सूची तैयार करके प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में भारत में स्थापित और परिचालनगत सभी समूह हस्तियां तथा ऐसी विदेशी हस्तियां शामिल होनी चाहिए, जिनके साथ पिछले तीन वित्त वर्षों में उनके महत्वपूर्ण [12] लेनदेन रहे हैं। समूह हस्तियों के बहिष्करण और/या समावेश को यथाशीघ्र रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

9.2 बैंकों को समूह के भीतर सहायता व्यवस्था/करारों (जैसे समूह में किसी हस्ती के दायित्वों की विनिर्दिष्ट गारंटी या आश्वासन पत्र) का ब्योरा प्रस्तुत करना चाहिए।

9.3 बैंकों को निरंतर आधार पर अपनी निर्धारित सीमाओं के बीच परिचालन करना चाहिए तथा अपने समूह के भीतर एक्सपोजरों की रिपोर्ट करनी चाहिए।

9.4 यदि एकल हस्ती स्तर पर या सकल स्तर पर समूह के भीतर एक्सपोजर विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक हो, तो उसे यथाशीघ्र तथा निर्धारित विवरणियों में भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए तथा सीमाओं का उल्लंघन करने के कारण भी दिए जाने चाहिएं। ऐसी स्थितियों में बैंक आगे और कोई समूह के भीतर एक्सपोजर (एकल हस्ती या सकल स्तर, जैसा भी मामला हो) नहीं कर सकता है, जब तक कि इसे कम करके सीमाओं के अंतर्गत नहीं लाया जाता। इसके अलावा, संतोषजनक आधार पर बैंकों को एक उचित समय-सीमा दी जा सकती है, जिसमें वे निर्धारित सीमाओं का पालन कर सकें। दी गई समय-सीमा के भीतर समूह के भीतर एक्सपोजर सीमा का पालन करने में असफल रहने का परिणाम यह होगा कि सीमाओं का पालन करने तक बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में से अतिरिक्त एक्सपोजर राशि घटाई जाएगी [13]। बार-बार उल्लंघन होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों पर दंड भी लगाया जा सकता है।

[12] निधि आधारित लेनदेनों के 'महत्वपूर्ण' सौदों के लिए सीमा रेखा 10 करोड़ रुपए तथा निधीतर आधारित लेनदेनों के लिए 25 करोड़ रुपये होगी।

[13] यदि डेरिवेटिव पोजीशन्स के बाजार दर आधारित मूल्यों के कारण सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघन की तारीख से तीन माह की अवधि तक अतिरिक्त एक्सपोजरों को सीईटी1 पूंजी में से घटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा, विदेशी बैंकों के मामले में एक्सपोजरों की गणना करते समय मूल बैंक के उसकी विदेशों में स्थित शाखाओं के साथ प्रोप्राइटरी ब्युत्पन्नी लेनदेनों को भी हिसाब में लिया जाए।